संख्या-04 /2023/4161/001-54-2022-099-16-2022

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-आई0सी0डी0एस0-सामान्य (के.-60/रा.-40-के.)एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-आई0सी0डी0एस0-सामान्य में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या सी-953/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखाशीर्षक ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-आई0सी0डी0एस0-सामान्य(के.60./रा0.40-के.) के मानक मद 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण में अनुपूरक मांग के उपरान्त कुल प्रावधानित धनराशि रू0 24761.00 लाख के सापेक्ष रू0 16361.23 लाख एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-आई0सी0डी0एस0-सामान्य मानक मद 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण में अनुपूरक मांग के उपरान्त कुल प्रावधानित धनराशि रू0 16507.00 लाख के सापेक्ष रू0 10907.49 लाख अर्थात कुल रू0 27268.72 लाख (रुपया दो अरब बहत्तर करोड़ अढ़सठ लाख बहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा ।

(3) उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तयरदायी होंगे ।

(4) केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा ।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है । बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा ।

(7) यह धनराशि प्राप्त परिव्यय की सीमा में ही समाहित होगी । किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुयत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी । ऐसी प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुुत किये जाये, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई न हो।

(9) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्यइ सरकार द्वारा एस0टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर किया जाय ।

(11) स्वीकृत धनराशि के व्यय की फेजिंग कर ली जाय और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही एस0टी0एस0पी0 की गाइडलाइन के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

(12) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022, शासनादेश संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022, शासनादेश संख्या-23/2022/ बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04 नवम्बर, 2022, शासनादेश संख्या-24/2022/ बी-1-750/दस-2022-231/2022, दिनांक 08 नवम्बर, 2022 एवं शासनादेश संख्या-बी-1-755/दस-2022-231/2022, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(13) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 14.12.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(15) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2022/बी-1-356/दस-2022-15/2003 दिनांक 10.05.2022 एवं शासनादेश संख्या-12/2022/बी-1-357/दस-2022-15/2003 दिनांक 10.05.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 1,63,61,23,000 (रुपये एक अरब त्रेसठ करोड़ इकसठ लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2235027890102 आई0सी0डी0एस-सामान्य-के-60-रा-40 **मानक मद** 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण (*2*) रुपये 1,09,07,49,000 (रुपये एक अरब नौ करोड़ सात लाख उनचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2235027898902 आई0सी0डी0एस0-सामान्य **मानक मद** 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-356-X-2022-23, दिनांक 30 दिसंबर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-04/2023/4161(1) /001-54-2022-099-16-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. मुख्य, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त, (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
6. वित्त, संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।